

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप -खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2051] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 1, 2019/आषाढ़ 10, 1941 No. 2051] NEW DELHI, MONDAY, JULY 1, 2019/ASHADHA 10, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2019

का.आ. 2269 (अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2018 का 1) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 अगस्त, 2019 को उक्त अधिनियम की धारा 81 के उपबंधों को प्रवृत्त करने की तारीख के रूप में नियुक्त करती है।

[फा.सं. 1/1/2018-सीएल- I] के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2019

S.O. 2269 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2017 (1 of 2018), the Central Government hereby appoints the 15 August, 2019 as the date on which the provisions of section 81 of the said Act shall come into force.

[F. No. 1/1/2018-CL-I]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

3276 GI/2019